

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- I) का कार्यालय म.प्र., ऑडिट भवन, ग्वालियर

Office of the Principal Accountant General (Audit-I) MP, Audit Bhawan, Gwalior

क्र./प्रशा./गो.क./एम.ए.सी.पी./का.आ./ ५९४

Date: 13.11.24

कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER

केन्द्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु लागू 'परिवर्धित सुनिश्चित कैरियर प्रोग्रेशन योजना' के अंतर्गत प्राप्त भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 35034/3/2015-स्था.-(डी.) दिनांक 28.09.2016 में दिए गए निर्देशानुसार निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गयी तिथि एवं वेतन लेवल में वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाता है :-

In terms of Government of India, Ministry of Public Grievance and Pension (Department of Personnel and Training) Office Memorandum No. 35034/3/2015-Estt.(D) dated 28.09.2016 received under Modified Assured Career Progression Scheme, for Central Government Officers/Officials, following Officials are granted financial upgradation from the date and in the Pay Level shown against their names :-

S. No.	नाम, पद एवं स्थाई क्र. Name, Post & Prmtt. No. S/Shri.	Pay level as on 31.08.2018	प्रदाय वित्तीय उन्नयन Financial upgradation granted			कार्यालय Office
				दिनांक Date	वेतन लेवल Pay Level	
1.	Smt. Sarika Sharma, Supervisor (02/10204),	07	3 rd	01.09.2018	Level 08	O/o the PAG (Audit-I) MP, Gwalior
2.	Shri Suresh Chandra Meena, Supervisor (02/10313)	07	3 rd	01.09.2018	Level 08	O/o the PAG (Audit-I) MP, Gwalior

1. उपर्युक्त कर्मचारियों को केवल उच्च वेतन लेवल प्रदान किया गया है इससे उच्च पद पर क्रियात्मक (functional) /नियमित पदोन्नति नहीं मानी जाएगी।

Above Officials have been granted higher Pay Level only, which will not be treated as functional/regular promotion.

2. भारत सरकार के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 28.09.2016 के साथ संलग्न अनुलग्नक-I (annexure-I) में वर्णित शर्तों के अधीन परिवर्धित सुनिश्चित कैरियर प्रोग्रेशन योजना के अंतर्गत प्रदान किया गया। वित्तीय उन्नयन संबंधित कर्मचारी का व्यक्तिगत होगा। इसका उनके संवर्ग की वरियता से कोई संबंध नहीं होगा।

As per the terms & Conditions mentioned in the Annexure-I of Office Memorandum dated 28.09.2016, financial Upgradation under MACPS shall be purely personal to the officials and shall have no relevance to their seniority position in the cadre.

3. वेतन निर्धारण संबंधी विकल्प यह आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के अन्दर संबंधित प्रशासन अनुभाग में प्रस्तुत करें।

Option for Pay fixation may be submitted in concerned admin section within a month from the date of issue of this order.

4. यदि किन्हीं परिस्थितियों में प्रदान किये गये वित्तीय उन्नयन में बदलाव/वापस लेने की आवश्यकता प्रतीत होती है तब वित्तीय उन्नयन प्रदान किये जाने के फलस्वरूप अधिक भुगतान की वसूली उनके वेतन से की जाएगी।

If the financial upgradation granted is modified or withdrawn under any circumstances, the excess payment due to grant of financial upgradation will be recovered from their salary.

(उप महालेखाकार/ प्रशासन के आदेश से जारी)

-हस्ता-
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
गोपनीय कक्ष

क्र./प्रशा./गो.क./एम.ए.सी.पी./

Date: 13.11.24

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित :-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
2. वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन), प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) का कार्यालय, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
3. उप महालेखाकार (प्रशासन), प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) प्रथम का कार्यालय, मध्य प्रदेश, ग्वालियर को आपदा प्रबंधन के संबंध में प्रेषित।
4. निदेशक, वित्त एवं संचार (लेखापरीक्षा), संचार भवन एनेक्सी होशंगाबाद रोड, मध्य प्रदेश, भोपाल-462011.
5. कल्याण अधिकारी।
6. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशा-11, 12, 13, 14 एवं ITA
7. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/IS Wing को इंटरनेट के अंतर्गत अपलोड करने हेतु।
8. भुगतान एवं लेखा अधिकारी, लेखा भवन, ग्वालियर।
9. श्री नरेश आहूजा, स.ले.प.अ, प्रशा.-14 को इंटरनेट/इन्ट्रानेट संबंधी कार्य हेतु।
10. महामंत्री, ऑडिट वेलफेयर एसोसिएशन।
11. संबंधित कर्मचारी/सूचना पटल।

Sumin
13/11/2024
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
गोपनीय कक्ष